

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कंवर पत्नी धीर सिंह राजपूत निवासी ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल जहाजपुर
बनाम

भवानीराम मीणा पुत्र श्रवण मीणा निवासी बोरानी, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111.128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 355/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नंबर व कॉलिस अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुई |
|-------------|--|---|
| 22/05/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सिने से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अनिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बिन्ध्यानाटा प.ह. बिन्ध्यानाटा आराजी सं. 4392/3010 कुल किता 01 रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अनिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बिन्ध्यानाटा प.ह. बिन्ध्यानाटा आराजी सं. 4392/3010 कुल किता 01 रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनसे 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 22/05/2024


क्रमांक/रीडर/2024/355/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.355/2024 अनवान अलोल कंवर पत्नी धीर सिंह राजपूत निवासी ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल जहाजपुर बनाम भवानीराम मीणा पुत्र श्रवण मीणा निवासी बोरानी, मोहन ला रेगर पुत्र गीलाराम उर्फ गंगा राम रेगर निवासी बोरानी, रामदयाल रेगर पुत्र गुलाब रेगर निवासी बिन्ध्याभाटा, महेद्र सिंह मीणा पुत्र रामनारायण निवासी बिन्ध्याभाटा, धीर सिंह शेखावत निवासी ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल जहाजपुर, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 4392/3010 कुल किता 01 रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा